प्रकरण संख्या–17/19 2019/00124 ता0रजू 16.05.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

गिर्राज प्रसाद पुत्र जगनलाल जाति मीना आयु 58 साल निवासी बालौती तहसील सपोटरा जिला करौली – अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 24.04.2019 जिला रसद अधिकारी करौली प्रकरण संख्या 230/19 उनवानी सरकार बनाम गिर्राजप्रसाद

निर्णय

दिनांक–11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 29.01.2019 को अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान का बंद पाया जाना, उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्राप्ति की रसीद नहीं देना, पोस मशीन में पर्ची का रॉल नहीं होना, 74 लीटर केरोसीन, 7.5 क्विं. गेंहूं व 8 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग किया जाना, उपभोक्ताओं को राशनकार्डों की यूनिट के अनुसार राशन सामग्री का वितरण नहीं कर यूनिट से कम गेंहूं का वितरण करना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 24.04.2019 कानून के विपरीत दिया है जो काबिले मंसूख है। अदालत मातहत् के समक्ष जो प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने दिनांक 29.01.2019 को जांच रिपोर्ट पेश की है बिल्कुल गलत व तथ्यों के विपरीत है। अपीलाण्ट की उ0मू0दुकान ग्राम बालौती 1/2 भाग कभी बंद नहीं रही। सरकार के नियमानुसार बदस्तूर दुकान समय–समय पर खुलती है। प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने दुकान को बंद होना गलत तथ्य की रिपोर्ट दर्ज की है तथा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्राप्ति की पर्ची अपीलाण्ट हमेशा देता रहा है और पोश मशीन का पूरी तरह सामग्री देने में उपयोग उपभोग किया है तथा केरोसीन जो 74 लीटर कम पाया जाना बताया है स्टॉक के अंदर जो केरोसीन बचा था वह स्टॉक में मौजूद था तथा 8 किलो चीनी कम होना व दुरूपयोग करना बताया है वह भी गलत है तथा राशन उपभोक्ताओं द्वारा समय–समय पर राशन सामग्री ली है। ग्राम में आपसी द्वेषता के कारण व राजनैतिक षडयंत्र रचकर यह सारी रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने ही दी है इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी भूल की है और अपीलाण्ट का राशन सामग्री बाबत प्राधिकार पत्र निलंबित करने में कानूनी भूल की है उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने किसी प्रकार की खाद्य सामग्री का दुरूपयोग नही किया ना ही केरोसीन का दुरूपयोग किया ना ही किसी प्रकार का कोई फर्जीवाडा किया है। अपीलाण्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

जिला कलक्टर
करौली

योजना के गेंहू का कोई दुरूपयोग नहीं किया ना ही खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तो का कोई उल्लंघन किया है अदालत मातहत ने अपीलाण्ट के 1000 रूपये अमानत राशि जब्त करने में कानूनी भूल की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ग्राम पंचायत बालौती का राशन डीलर है और राशन सामग्री बदस्तूर नियमानुसार वितरण पोश मशीन से करता चला आ रहा है तथा किसी प्रकार कोई दुरूपयोग राशन सामग्री का अपीलाण्ट ने नही किया ना ही दुकान को बन्द रखा है। प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने यह कही नही दर्शाया है कि केरोसीन किससे नापा गेंहू व चीनी किस तराजू से तोली ये किसी पोश मशीन से तोली अंदाज से मनमाने तरीके से ये झूठी कमी निकालकर झूठे तथ्यों की रिपोर्ट अदालत मातहत ने पेश की है। इस पर ही अदालत मातहत ने अपना निर्णय दिया है जो काबिले निरस्त होने योग्य है। कानून के विपरीत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 29.01.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। मौके पर दुकान बंद पायी गई। अपीलार्थी डीलर को बुलाकर दुकान खुलवायी गई। अपीलार्थी डीलर की पोस मशीन से स्टॉक की पर्ची निकलवाई गई जिसमें 15.31 क्विं. गेंहूं, 90.400 किलोग्राम चीनी व 6 लीटर केरोसीन दर्ज पाया। डीलर के बताये अनुसार माह फरवरी का गेंहूं 129 कट्टे, कुल वनज 65 क्विं. जांच से एक दिन पूर्व होना बताया जो पोस मशीन में अपडेट नहीं हुआ है। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में चीनी 90.400 किलो, गेंहूं 80.31 क्विं. एवं केरोसीन 00(शून्य) लीटर पाया गया। गांव में उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर उपभोक्ताओं ने बताया कि अपीलार्थी डीलर यूनिट अनुसार गेंहूं नहीं देकर यूनिट से कम गेंहूं देता है, पोस की पर्ची नहीं देता है, यूनिट अनुसार आने वाले मैसेज को गलत बताता है, राशन कार्ड में दी गई मात्रा का इन्द्राज नहीं करता है, सिर्फ जनवरी 19 में गेंहूं पूरे यूनिट का देकर राशनकार्ड में मात्रा व दिनांक का अंकन किया गया है, किसी माह गेंहूं बकाया रह जाता है तो अगले माह दो बार अंगूठा लगवाकर एक माह का ही गेंहूं देता है। कार्यालय रिकॉर्ड व ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की ऑडिट करने पर पाया कि दिनांक 01.01.2018 से वक्त जांच तक प्रारंभिक स्टॉक 0 (शून्य) क्विं. चीनी एवं आमद 3.5 क्विं. चीनी सहित कुल 3.5 क्विं. चीनी में से 2.10 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत शेष 1.4 क्विं. चीनी की अपेक्षा 90.4 किलो चीनी पाई गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक प्रारंभिक स्टॉक 0(शून्य) लीटर केरोसीन एवं आमद 8140 लीटर केरोसीन सहित कुल 8140 लीटर केरोसीन में से 8066 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत शेष 74 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 0 (शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर वक्त जांच 74 लीटर केरोसीन एवं 8. 00किलो चीनी कम पायी गई जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है। उपभोक्ताओं से पूछताछ के आधार पर मौके पर प्रस्तुत राशनकार्डों में से 11 राशनकार्डों में यूनिट अनुसार निर्धारित मात्रा से कम गेंहूं दिया जाना पाया जाकर कुल 7.5 क्विं गेंहूं का अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है। मौके पर बनाये गये फर्द मौकों पर अपीलार्थी व उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर हैं। अतः अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच जिला रसद अधिकारी करौली व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 29.01.2019 को अपीलार्थी की उपस्थिति में की गई है जो मौके पर बनाये गये फर्द मौका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर होने से

जिला कलक्टर
करौली

प्रमाणित है। मौके पर दुकान बंद पायी गई थी जिसे अपीलार्थी को बुलवाकर खुलवाया गया था। वक्त जांच उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये बयानों एवं राशनकार्डों की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को वितरित मात्रा व दिनांक का अंकन राशन कार्डों में नहीं किया जा रहा है, उपभोक्ताओं को पोस मशीन की पर्ची(बिल) नहीं दिया जा रहा है, यूनिट के अनुसार गेंहूं नहीं दिये जाकर यूनिट से कम गेंहूं दिये जा रहे हैं। मौके पर प्रस्तुत राशनकार्डों में से 11 राशन कार्डों के वितरण का इन्द्राज व वितरण की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर 7.50 क्विं. गेंहूं का दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर पाये गये स्टॉक, कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर की गई ऑडिट से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा 74 लीटर केरोसीन एवं 8.00 किलोग्राम चीनी भौतिक सत्यापन करने पर कम पाये गये हैं। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 7.5 क्विं. गेंहूं, 74 लीटर केरोसीन एवं 8.00 किलोग्राम चीनी का दुरुपयोग किया गया है जो गंभीर अनियमितताएं हैं। अतः हम प्रत्यर्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अपील अपीलाण्ट की खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली